



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062020-219968
CG-DL-E-17062020-219968

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]
No. 297]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2020/ज्येष्ठ 27, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2020/JYAISHTHA 27, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय

(पीएचआरडी अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

सा.का.नि. 378(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 328(अ) दिनांक 5 मई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, अपर प्रधान महा वन संरक्षक (सेंट्रल), पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय पूर्वी जोन, भुवनेश्वर के स्थान पर उप-महानिदेशक वन (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (ई जेड), ए/3, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर - 751023 को दिनांक 31.03.2022 तक कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एल बी-11013/1/2020-एल]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th, June 2020

G.S.R. 378(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modifications of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 328(E) dated the 5th May, 2020, the Central Government hereby appoints Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office (EZ), A/3, Chandrasekharpur, Bhubaneswar - 751023 in place of Additional Principal Chief

2596 GI/2020

(1)

Conservator of Forests(C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office, Eastern Zone, Bhubaneswar as trustee in the Board of Trustees of the Kolkata Port Trust for the period up to 31.03.2022.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No.LB-11013/1/2020-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

सा.का.नि. 379(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 325(अ) दिनांक 5 मई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, अपर प्रधान महा वन संरक्षक (सेंट्रल), पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय पूर्वी जोन, भुवनेश्वर के स्थान पर उप-महानिदेशक वन (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (ई जेड), ए/3, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर – 751023 को दिनांक 31.03.2022 तक पारादीप पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एल बी-11013/1/2020-एल]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th, June 2020

G.S.R. 379(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modifications of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 325(E) dated the 5th May, 2020, the Central Government hereby appoints Deputy Director General of Forests (C), M/o EF&CC, Regional Office (EZ), A/3, Chandersekharpur, Bhubaneswar – 751023 in place of Additional Principal Chief Conservator of Forests(C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office, Eastern Zone, Bhubaneswar as trustee in the Board of Trustees of the Paradip Port Trust for the period up to 31.03.2022.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No.LB-11013/1/2020-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

सा.का.नि. 380(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 324(अ) दिनांक 5 मई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम जोन, भोपाल के स्थान पर उप-महानिदेशक वन (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूजेड), केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई-5 अरेरा कॉलोनी, लिंक रोड -3, रविशंकर नगर, भोपाल – 462016 को दिनांक 31.03.2022 तक दीनदयाल पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एल बी-11013/1/2020-एल]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th, June 2020

G.S.R. 380(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modifications of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 324(E) dated the 5th May, 2020, the Central Government hereby appoints Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Regional Office (WZ), Kendriya Paryavaran Bhawan, E-5 Arera Colony, Link Road-3, Ravishankar Nagar,

Bhopal – 462016 in place of Regional Officer, Regional Office, Western Zone, Bhopal as trustee in the Board of Trustees of the Deendayal Port Trust for the period up to 31.03.2022.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No.LB-11013/1/2020-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

सा.का.नि. 381(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 320(अ) दिनांक 5 मई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, चेन्नई के स्थान पर उप-महानिदेशक वन (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (एसईजेड), प्रथम और द्वितीय तल, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, 34, कैथेड्रल गार्डन रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नई – 34 को दिनांक 31.03.2022 तक चेन्नई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एल बी-11013/1/2020-एल]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th, June 2020

G.S.R. 381(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modifications of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 320(E) dated the 5th May, 2020, the Central Government hereby appoints Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Regional Office (SEZ), Ist and IInd Floor, Handloom Export Promotion Council, 34, Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai – 34 in place of Regional Officer, Regional Office, South Eastern Zone, Chennai as trustee in the Board of Trustees of the Chennai Port Trust for the period up to 31.03.2022.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No.LB-11013/1/2020-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

सा.का.नि. 382(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 326(अ) दिनांक 5 मई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, चेन्नई के स्थान पर उप-महानिदेशक वन (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (एसईजेड), प्रथम और द्वितीय तल, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, 34, कैथेड्रल गार्डन रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नई – 34 को दिनांक 31.03.2022 तक विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एल बी-11013/1/2020-एल]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th, June 2020

G.S.R. 382(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modifications of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 326(E) dated the 5th May, 2020, the Central Government hereby appoints Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Regional Office (SEZ), Ist and IInd Floor, Handloom Export Promotion Council, 34, Cathedral Garden Road,

Nungambakkam, Chennai – 34 in place of Regional Officer, Regional Office, South Eastern Zone, Chennai as trustee in the Board of Trustees of the Visakhapatnam Port Trust for the period up to 31.03.2022.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No.LB-11013/1/2020-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

सा.का.नि. 383(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 380(अ) दिनांक 28 मई, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, श्री ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्थान पर उप-महानिदेशक वन (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (एसईजेड), प्रथम और द्वितीय तल, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, 34, कैथेड्रल गार्डन रोड, नुंगम्बक्कम, चेन्नई – 34 को दिनांक 31.03.2021 तक व.उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

[फा. सं. एल बी-11013/1/2020-एल]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th, June 2020

G.S.R. 383(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modifications of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 380(E) dated the 28th May, 2019, the Central Government hereby appoints Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Regional Office (SEZ), Ist and IInd Floor, Handloom Export Promotion Council, 34, Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai – 34 in place of Shri Gyanesh Bharti, Joint Secretary, M/o Environment, Forest & Climate Change as trustee in the Board of Trustees of the V.O. Chidambaranar Port Trust for the period up to 31.03.2021.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No.LB-11013/1/2020-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

सा.का.नि. 384(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 323(अ) दिनांक 5 मई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिणी क्षेत्र, बेंगलुरु के स्थान पर उप-महानिदेशक वन (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय सदन, चौथी मंजिल, ई एंड एफ विंग्स, 17 वीं मुख्य सड़क, कोरमंगला ब्लॉक, बैंगलोर – 560034 को दिनांक 31.03.2022 तक कोचीन पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

[फा. सं. एल बी-11013/1/2020-एल]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th, June 2020

G.S.R. 384(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modifications of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 323(E) dated the 5th May, 2020, the Central Government hereby appoints Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest & Climate

Change, Regional Office (SZ), Kendriya Sadan, 4th Floor, E&F Wings, 17th Main Road, Koramangala II Block, Bangalore – 560034 in place of Regional Officer, Regional Office, Southern Zone, Bengaluru as trustee in the Board of Trustees of the Cochin Port Trust for the period up to 31.03.2022.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No.LB-11013/1/2020-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

सा.का.नि. 385(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 297(अ) दिनांक 10 अप्रैल, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, श्री अरविंद कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्थान पर उप-महानिदेशक वन (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय सदन, चौथी मंजिल, ई एंड एफ विंग्स, 17 वीं मुख्य सड़क, कोरमंगला ब्लॉक, बेंगलूर – 560034 को दिनांक 31.03.2021 तक नव मंगलूर पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एल बी-11013/1/2020-एल]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th, June 2020

G.S.R. 385(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modifications of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 297(E) dated the 10th April, 2019, the Central Government hereby appoints Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Regional Office (WCZ), Ground Floor, East Wing, New Secretariat Building, Civil Lines Nagpur – 440001 in place of Shri Ritesh Kumar Singh, Joint Secretary M/o Environment, Forests and Climate Change as trustee in the Board of Trustees of the New Mangalore Port Trust for the period up to 31.03.2021.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No.LB-11013/1/2020-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

सा.का.नि. 386(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, उप-महानिदेशक वन (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय सदन, चौथी मंजिल, ई एंड एफ विंग्स, 17 वीं मुख्य सड़क, कोरमंगला ब्लॉक, बेंगलूर – 560034 को दिनांक 31.03.2022 तक मुरगांव पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एल बी-11013/1/2020-एल]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th, June 2020

G.S.R. 386(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Regional Office (SZ), Kendriya Sadan, 4th Floor, E&F Wings, 17th Main Road, Koramangala II Block, Bangalore – 560034 as trustee in the Board of Trustees of the Mormugao Port Trust for the period up to 31.03.2022.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No.LB-11013/1/2020-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

सा.का.नि. 387(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 319(अ) दिनांक 5 मई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, अपर प्रधान महा वन संरक्षक (सेंट्रल), क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी सेंट्रल जोन, नागपुर के स्थान पर उप-महानिदेशक वन (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूसीजेड), ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट विंग, न्यू सचिवालय भवन, सिविल लाइंस नागपुर – 440001 को दिनांक 31.03.2022 तक मुंबई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

[फा. सं. एल बी-11013/1/2020-एल]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th, June 2020

G.S.R. 387(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modifications of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 319(E) dated the 5th May, 2020, the Central Government hereby appoints Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Regional Office (WCZ), Ground Floor, East Wing, New Secretariat Building, Civil Lines Nagpur – 440001 in place of Additional Principal Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office (West Central Zone), Nagpur as trustee in the Board of Trustees of the Mumbai Port Trust for the period up to 31.03.2022.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No.LB-11013/1/2020-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

सा.का.नि. 388(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 371(अ) दिनांक 16 मई, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, श्री रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्थान पर उप-महानिदेशक वन (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूसीजेड), ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट विंग, न्यू सचिवालय भवन, सिविल लाइंस नागपुर – 440001 को दिनांक 31.03.2021 तक जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

[फा. सं. एल बी-11013/1/2020-एल]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th, June 2020

G.S.R. 388(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modifications of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 371(E) dated the 16th May, 2019, the Central Government hereby appoints Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Regional Office (WCZ), Ground Floor, East Wing, New Secretariat Building, Civil Lines Nagpur – 440001

in place of Shri Ritesh Kumar Singh, Joint Secretary M/o Environment, Forests and Climate Change as trustee in the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port Trust for the period up to 31.03.2021.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F.No.LB-11013/1/2020-L]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.